श्री संतोष कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सहरसा।

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सहरसा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–653 / 2026

अनिरूद्ध साह उर्फ अनिरूद्ध कुमार एवं 11 अन्य .....आवेदकगण

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षी

09.06.2026 आवेदक / अभियुक्तगण 1. अनिरूद्ध साह उर्फ अनिरूद्ध कुमार 2. रविश कुमार 3. रंजीत साह 4. संजय साह उर्फ संजय कुमार 5. दिलखुश कुमार 6. राजू कुमार 7. राणा कुमार 8. मुन्नी देवी 9. रानी देवी 10. साधू साह उर्फ साधन कुमार 11. प्रदीप साह उर्फ प्रदीप कुमार 12 रणवीर साह उर्फ रणवीर कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। प्रस्तुत वाद सिमरी बख्तियारपुर थाना कांड संख्या– 286 / 2025 अंतर्गत धारा–191(2), 190, 126(2), 115(2), 127(2), 352, 351(2), 119(1), 232, 132 भा0न्याय0स0. के अंतर्गत दर्ज है।

सिमरी बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 286 / 2025 में वांछित अभियुक्त 1. अनिरूद्ध साह उर्फ अनिरूद्ध कुमार 2. रविश कुमार 3. रंजीत साह 4. संजय साह उर्फ संजय कुमार 5. दिलखुश कुमार 6. राजू कुमार 7. राणा कुमार 8. मुन्नी देवी 9. रानी देवी 10. साधू साह उर्फ साधन कुमार 11. प्रदीप साह उर्फ प्रदीप कुमार 12 रणवीर साह उर्फ रणवीर कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को संचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत नारायण यादव ने निवेदन किया कि उनके उपर कलावती देवी की मृत्यु के उपरांत हुए आक्रोश के कारण सड़क जाम कर विधि व्यवस्था को अव्यवस्थित करने का सामान्य आरोप है। डकैती करने का आरोप मामले को गंभीर बनाने के उद्धेश्य से लगाया गया है इसलिये अभियुक्त को अग्रिम जमानत आवेदन का लाभ प्रदान किया जाये।

अभियोजन के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभयपक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख का अवलोकन किया और पाया कि वर्तमान वाद सूचक अमरनाथ कुमार तत्कालीन थानाध्यक्ष, सिमरी बख्तियारपुर के टंकित आवेदन से प्रारंभ हुआ जिस मे उनके द्वारा कथन किया गया कि दिनांक 16.09.2025 को सुबह 06:00 बजे जितेन्द्र कुमार की पत्नी कलावती देवी के शव का पोस्टमॉर्टम के बाद परिजन एवं अन्य लोगों ने एन0एच0 107 पर शव रखकर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–653 / 2026

लगातार

09.06.2026

सड़क जाम कर दी एवं टायर जला दी जिसमें लगभग 100–150 लोग शामिल थे। सूचना पर पुलिस पदाधिकारी पहुॅचे और उनके द्वारा जाम को हटाने का आदेश दिया गया तो पुलिस पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन किया गया। परिवार के सदस्यों एवं असमाजिक तत्वों ने चार पॉच घंटे सड़क जाम रखी और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। सरकारी कामों में बाधा पहुॅची। घटना में शामिल अभियुक्तों की पहचान विडियों के द्वारा स्थानीय चौकीदार से करायी गयी। पहचान कराने पर लगभग 26 लोग द्वारा जानलेवा हमलाकर गंभीर रूप से मारपीट की गयी जिसमें उक्त सभी 12 अभियुक्तगण भी उक्त घटना में शामिल पाये गये। इसके साथ ही सड़क जाम कर विधि व्यवस्था को अव्यवस्थित कर आम जनता के आवागमन में बाधा पहुॅचाने का स्पष्ट आरोप है। इस तरह आरोप की गंभीरता को देखते हुए इन्हें अग्रिम जमानत का लाभ देना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिये इनका अग्रिम जमानत न्यायहित में **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम

सहरसा